कोर्ट आदेश अनुपालन / महत्वपूर्ण

संख्या–*ii.p. 869* / चि0–3–15–81रिट / 2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : *26* अक्टूबर, 2015**

विषय:–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–169 / चि0–3–14–जी–06 / 2013, दिनांक 22.01.2014 एवं शासनादेश संख्या–564 / चि0–3–14–जी–06 / 2013, दिनांक 28.02.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या–35050 / 2015 डा0 विवेक कुमार सचान बनाम राज्य सरकार एवं दो अन्य तथा अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में शासनादेश दिनांक 26.05.2015 द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों की तैनाती के आधार पर स्नातकोत्तर पाठ्यकम में 30 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य कराये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे समस्त पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 जो किसी नगरीय स्थानीय निकाय (यथा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम) की परिसीमा में स्थित नहीं हैं, में 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का लाभ प्रदान किया गया है। हालांकि इस योजना का प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित कराया गया है, फिर भी यह पुनः अपेक्षित है कि अपने अधीनस्थ तैनात पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के समस्त डिग्रीधारी चिकित्सकों को उक्त योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेशों की प्रतियाँ उपलब्ध करा दें, जिससे वे उक्त योजना के अन्तार्गत अनुमन्य लाभ से भलीभांति भिज्ञ हो जाय।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सभी डिग्रीधारी चिकित्सक, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 में सेवा के 03 वर्ष पूर्ण न हुये हों, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 में तैनाती हेतु लिखित अनुरोध किये जाने पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्ति उपलब्ध होने पर तत्काल तैनात कर दिया जाय, जिससे कि वे निर्धारित अर्हता की पूर्ति कर सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती की अवधि में यदि उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करना अपरिहार्य हो तो ग्रामीण क्षेत्र की ही किसी अन्य पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 में स्थानान्तरित कर दिया जाय, जब तक की उनकी निर्धारित अर्हता पूर्ण न हो जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, इसके उल्लंघन की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–WP-869(1)/चि–3–15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. अध्यक्ष, प्रोविन्सियल मेडिकल सर्विसेज ऐसोसिऐशन, सी–142, ए–1, महानगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त निर्गत शासनादेशों से संवर्ग के समस्त सदस्यों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
5. कम्प्यूटर प्रभारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त सम्बन्धित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

tripathi GO - 2015